न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—286/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00286)

1. अमरा पुत्र सुखा जाति चमार (बैरवा) निवासी पिपलीया तहसील भिनाय जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बूबकिया, भिनाय जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 13/2011

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः—16.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बूबकिया भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 80(2) के तहत उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया व दिनांक 29.02.2012 को राजकीय पैरोकार ने उपस्थित होकर वादी के वाद का जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली शहादत वादी हेतु नियत की गई व वास्ते शहादत हेतु पत्रावली नियत होती रही जिसकी पश्चात उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने गलत रूप से प्रकरण को दुबारा राज्य सरकार के जवाब हेतु नियत कर दिया व दुबारा जवाब हेतु पत्रावली नियत होती रही व दिनांक 29.5.2017 को रेस्पोडेंटस द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया जिस पर दिनांक 15.2.2018 को बहस दोनों पक्षों की सुनकर दिनांक 22.02.2018 को विपक्षी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारिज करने का न्यायोचित आदेश प्रदान किया तत्पश्चात पत्रावली में वादी साक्ष्य प्रस्तुत की गई इसके पश्चात पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की गई विपक्षी/रेस्पोडेंट को साक्ष्य पेश करने बाबत अनेक अवसर प्रदान किए गए इसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने से दिनांक 22.3.2018 को प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली को वास्ते बहस हेतु नियत किया गया तत्पश्चात पत्रावली को केम्प कोर्ट बूबकिया में दिनांक 1.5.2018 को नियत किया जाकर उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम

पंचायत बूबकिया भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 पारित किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.7.2018 को उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में तारीख पेशी कन्फर्म करने बाबत प्रार्थी उपस्थित हुआ तब उपखण्ड अधिकारी भिनाय के रीडर के द्वारा यह कहा गया कि उपरोक्त प्रकरण का ग्राम पंचायत बूबकिया में ही निस्तारण कर दिया गया है तत्पश्चात दिनांक 10.7.2018 को ही प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.8.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 21.8.2018 को नकल प्रदान की गई। इस प्रकार दिनांक 10.7.2018 से 21.8.2018 तक नकल प्रदान करने की जिम्मेदारी उपखण्ड अधिकारी भिनाय की थी परंतु उनके द्वारा जानबूझ कर नकल प्रदान नहीं की गई जिसमें कि प्रार्थी की कोई गलती नहीं है व न ही प्रार्थी की कोई दुर्भावना रही है ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील को पेश किए जाने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी क्यों कि अपीलांट स्वयं केम्प कोर्ट बूबनिया में उपस्थित थे। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** ***When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.***

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं

किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि लोक अदालत में प्रकरण का जब ही निस्तारण किया जा सकता है जब दोनों पक्षकार सहमत हो परंतु उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा लिखित में कोई सहमति नहीं दी गई व न ही अपीलांट के अभिभाषक की कोई बहस सुनी गई गलत तौर से पक्षकार अपीलांट को तारीख देने बाबत कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवा कर एक तरफा निर्णय पारित किया है। वह लोक अदालत की भावना के विपरीत है। वादी का उपरोक्त भूमि में करीब 60 से 70 वर्षो से खुल्लम खुल्ला रूप से कब्जा होकर अपीलांट काश्त करता हुआ चला आ रहा है। इस बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श 3 खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2043 से 2053 की प्रस्तुत की थी। इसके बावजूद भी अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त नहीं होना मानते हुए जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि आबादी भूमि नहीं है इसके बावजूद गलत रूप से विवादित भूमि को आबादी भूमि मानते हुए तनकी संख्या 2 मुर्तिब कर जो निर्णय पारित किया है जबकि जमाबंदी में उपरोक्त भूमि बारानी 2 अंकित है जो कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी व गिरदावरी से पूर्णतया स्पष्ट है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य हैं। विपक्षी/रेस्पोडेट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब दावे में वादी के खाते में ज्यादा भूमि होने बाबत कोई कथन अंकित नहीं किया गया व राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दूसरे जवाब दावे में उपरोक्त कथन अंकित करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत किया जबकि पूर्व जवाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से दुबार जवाब लेकर जो निर्णय पारित किया है वह नियमों के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। वादी के खाते मे करीब 7 बीघा भूमि आती है इसके बावजूद भी गलत रूप से शामलाती खाते की भूमि को 25 बीघा भूमि वादी के हिस्से में आना कहते हुए जो निर्णय पारित किया है वह रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बूबकिया भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकार्ड के ग्राम पीपलिया तहसील भिनाय में वर्तमान में सिवायचक सरकारी भूमि जिमन नम्बर 1 में किस्म बारानी 3 दर्ज है। उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा राज्य सरकार के परिपक्ष अनुसार एवं एडवर्स पजेशन नहीं है। पत्रावली में वादी की और से एडवर्स पजेशन संबंधी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

जिसमें राजकीय भूमि ही हक खातेदारी घोषणा नियमानुसार की जा सके अतः वादी का वाद निरस्त योग्य बताया। पैरोकार सरकार ने बताया कि वादी अमरा के नाम ग्राम पीपलिया जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 5 में वादी अमरा पुत्र सुखा कौमा बैरवा कि 2.20 है0 खाता संख्या 14 में 0.01 खाता संख्या 15 में 0.04 खाता संख्या 20 में 0.16 खाता संख्या 99 में 0.06 तथा खाता संख्या 100 में 1.81 है0 इस प्रकार वादी के हित में कुल धारित रकबा 4.28 है0 अर्थात 26 बीघा 15 बीस्वा होता है जो आवंटन नियमों के मुताबिक 25 बीघा से अधिक है जो यदि वादवर्णित भूमि कृषि भी होती तो वादी आवंटन/नियमन/घोषणात्मक डिक्री कराने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि दिनांक 19.4.2018 को पत्रावली को लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत बूबकिया में नियत किया गया था अपीलांट द्वारा यह कथन करना की ***"पत्रावली को केम्प कोर्ट बूबकिया में दिनांक 1.5.2018 नियत किया जाकर वादी को तारीख देने बाबत कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाए जाकर गैर कानूनी रूप से वादी के वाद को दिनांक 1.5.2018 को बिना वादी अभिभाषक की बहस सुने खारिज करने का गैर कानूनी आदेश पारित किया गया है। "***

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पत्रावली में संलग्न नोटिस जो केम्प कोर्ट बूबकिया में सुनवाई हेतु जारी किया गया था। उक्त नोटिस अपीलांट अमरा स्वयं को तामील करवाया गया था तथा दिनांक 1.5.2018 को अपीलांट स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 1.5.2018 को सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किए। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न केम्प कोर्ट बूबकिया हेतु जारी नोटिस एवं आदेशिका दिनांक 1.5.2018 से पूर्णतयाः सिद्ध है। अतः अपीलांट द्वारा किया गया उक्त कथन रिकार्ड के विरूद्ध है तथा अपील में चलने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय सरकार पैरोकार का जवाब लिया जाकर उक्त प्रकरण पर तीन तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रथम तनकी ***" आया की वादी वाद वर्णित आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है? "*** वादीगण द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वह उक्त आराजीयात पर अपना कब्जा सिद्ध कर पाने में सक्षम हो चूंकि वादी द्वारा इस संबंध में प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया है जो वर्ष 1992–93 से 1996–97 से संबंधित है। वादीगण को 10 वर्षों की रसीद उपलब्ध करवानी चाहिए थी जो कि वादीगण प्रस्तुत नहीं कर सके तथा वादीगण उक्त आराजीयात पर अपना अनवरत कब्जा काश्त बताने में असफल रहे अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी पर किए गए विवेचन से न्यायालय हाजा का भी यही मत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित द्वितीय तनकी ***" आया कि प्रतिवादी वाद वर्णित ग्राम पंचायत के आबादी में दर्ज होने से वाद खारिज कराने का अधिकारी है?"*** इस तनकी अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया जिससे यह स्पष्ट है कि भूमि वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज है व उक्त भूमि राजकीय भूमि है। वादीगण का उक्त आराजीयात पर अनवरत कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा इस संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम पिपलिया की जमाबंदी में सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त आराजीयात बाबत पैरोकार सरकार अनुसार वादी अमरा के नाम ग्राम पीपलिया जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 5 में वादी अमरा पुत्र सुखा कौमा बैरवा कि 2.20 है0 खाता संख्या 14 में 0.01 खाता संख्या 15 में 0.04 खाता संख्या 20 में 0.16 खाता संख्या 99 में 0.06 तथा खाता संख्या 100 में 1.81 है0 इस प्रकार वादी के हित में कुल धारित रकबा 4.28 है0 अर्थात 26 बीघा 15 बीस्वा होता है जो आवंटन नियमों के मुताबिक 25 बीघा से अधिक है जो यदि वादवर्णित भूमि कृषि भी होती तो वादी आवंटन/नियमन/घोषणात्मक डिक्री कराने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण तय की गई जो कि न्याय संगत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का अनवरत कब्जा काश्त होना नहीं पाया जाता व वादीगण अपना कब्जा काश्त साबित नहीं कर पाए है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि वादी द्वारा ग्राम पिपलिया स्थित खसरा नम्बर 371 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 372 रकबा 1.00, खसरा नम्बर 377 रकबा 1.56, 378 रकबा 0.68, 379 रकबा 0.44 कुल किता 5 रकबा 3.90 हेतु एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। इस आधार पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वादी को खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त दोनों तनकी विरूद्ध वादीगण तय की गई। वादी द्वारा ग्राम पिपलिया स्थित खसरा नम्बर 371 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 372 रकबा 1.00, खसरा नम्बर 377 रकबा 1.56, 378 रकबा 0.68, 379 रकबा 0.44 कुल किता 5 रकबा 3.90 हेतु प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उपरोक्त तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया है जिसमें न्यायालय हाजा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं प्रतीत होने से उक्त अपील खारिज योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बूबकिया भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर